कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय.....
तहसील–..... जिला–.....

क्रमांक..... दिनांक.....

–कार्यालय आदेश–

राजस्थान सर्विस रूल्स के नियम 93 ग के अनुसरण में स्थानीय विद्यालय में कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को उनके चिकित्सकीय रोग व आरोग्य प्रमाण पत्र/ स्वैच्छा के आधार पर प्रार्थना पत्र द्वारा चाहे जाने पर निम्नानुसार परिवर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है–

क्रसं	कर्मचारी का नाम	पद	अवकाश अवधि		दिन संख्या	परिवर्तित अवकाश	कारण
			से	तक			

उक्त अवकाश का सम्बन्धित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में इन्द्राज करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रतिलिपि–
1. श्रीमान उपकोषाधीकारी.....
2. सम्बन्धित श्री.....
3. सेवा पंजिका सम्बन्धित कार्मिक।
4. कार्यालय प्रति।

कार्यालय पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, ग्राम पंचायत.....
तहसील–..... जिला–.....

क्रमांक..... दिनांक.....

–कार्यालय आदेश–

राजस्थान सर्विस रूल्स के नियम 93 ग के अनुसरण में स्थानीय ग्राम पंचायत में स्थित प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को उनके चिकित्सकीय रोग व आरोग्य प्रमाण पत्र/स्वैच्छा के आधार पर प्रार्थना पत्र द्वारा चाहे जाने पर निम्नानुसार परिवर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है–

क्रसं	कर्मचारी का नाम	पद	अवकाश अवधि		दिन संख्या	परिवर्तित अवकाश	कारण
			से	तक			

उक्त अवकाश का सम्बन्धित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में इन्द्राज करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रतिलिपि–
1. श्रीमान उपकोषाधीकारी.....
2. सम्बन्धित कार्मिक।
3. सेवा पंजिका सम्बन्धित कार्मिक।
4. कार्यालय प्रति।

Rajteachers.in